


कार्यालय उपायुक्त, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

संख्या:- पंच-ऊना-वी0(15)90 / 2020-Reservation-

ऊना दिनांक:- 14 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 125 पठित पंचायती राज (निर्वाचन) नियम-88 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या-पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24 सितम्बर, 2020 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में मैं, राघव शर्मा (भा0प्र0से0), उपायुक्त ऊना, जिला ऊना की पंचायत समितियों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण को संलग्न सारणी में दिए गए विवरण अनुसार आरक्षित करता हूँ।



राघव शर्मा (भा0प्र0से0)

उपायुक्त ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

दिनांक

14 दिसम्बर, 2020

पृष्ठांकन संख्या:- उपरोक्त- 88।4 - 9088 ऊना
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश शिमला।
3. अतिरिक्त उपायुक्त ऊना, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवम लेखन सामग्री विभाग, हि0प्र0 शिमला को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
5. समस्त उपमण्डलाधिकारी (ना0), जिला ऊना हिमाचल प्रदेश।
6. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त तहसीलदार, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश।
8. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी ऊना, जिला ऊना को उक्त आरक्षण सूचि की प्रति जिला में प्रचलित समस्त समाचार पत्रों में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशनार्थ हेतु।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश।
10. समस्त पंचायत सचिव, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से पंचायत अभिलेख एवम ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पान हेतु।
11. जिला परिषद कार्यालय सूचनापट्ट पर चस्पान हेतु।
12. गार्ड पत्रावली।



उपायुक्त,

ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

जिला ऊना की पंचायत समितियों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण का विवरण वर्ष 2020

क्रम संख्या	पंचायत समिति का नाम	आरक्षण का विवरण-वर्ष-2020
1	अम्ब	अनुसूचित जाति महिला।
2	गगरेट	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला।
3	हरोली	महिला।
4	बंगाणा	अनारक्षित।
5	ऊना	अनारक्षित।



उपायुक्त,

ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।